कार्यालय कार्य प्रबन्धक
सिंचाई कार्यशाला खण्ड, झाँसी

पत्रॉकः— 1295 / सि0का0ख0झॉ0 / सू0अ0अधि02005 / दिनॉक 25/7/17

विषयः— सूचना का अधिकार अधिनियम—2005 की धारा—4(1) बी हेतु विभिन्न श्रेणियों की 16 सूचनायें (माह 06 / 2017) के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः— इस कार्यालय के पत्रॉक 818 / सि0का0ख0झॉ0 / सू0अ0अधि02005 / दिनॉक 12.05.2017

<u>अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्यशाला मण्डल—प्रथम कानपुर</u>

कृपया उपरोक्त विषयक वाँछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर इस कार्यालय के पत्रॉक 818 / सि0का0ख0झॉ0 / सू0अ0अधि02005 / दिनॉक 12.05.2017 द्वारा भेजी गयी थी। जिसे आपके निर्देशानुपालन में संशोधित कर पुनः सूचना संलग्न कर आपकी सेवा में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार

कार्य प्रबन्धक
सिंचाई कार्यशाला खण्ड,झाँसी
25/7/17

26.7.17

कार्यालय कार्यप्रबन्धक
सिंचाई कार्यशाला खण्ड,झॉसी

माह 06/2017

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–4(1) बी हेतु विभिन्न श्रेणियों की 16 सूचनाएं

क0 सं0	वॉछित सूचना (प्रश्न)	खण्ड से सम्बन्धित सूचना का विवरण (उत्तर)
1	अपने संगठन के विशिष्टियों कृत और कर्तव्य	सिंचाई कार्यशाला खण्ड झॉसी, सिंचाई कार्यशाला मण्डल–प्रथम कानपुर के अधीन कार्यरत है। इसमें बॉधों के गेटों एवं जल यॉत्रिक संयन्त्रों, एम0 एस0 पाईप, बार्ज इत्यादि का निर्माण कार्य किया जाता है।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियॉ और कर्तव्य	शासनादेश के अनुसार अधिकारी/कर्मचारी अपने कर्तव्यों एवं शक्तियों, दायित्वों का निर्वहन करते है।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।	सिंचाई कार्यशाला द्वारा बॉधों के गेटों एवं जल यॉत्रिक संयन्त्रों,, एम0 एस0 पाईप, बार्ज आदि के निर्माण कार्य हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया को पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ सम्पादित किया जाता है।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मानक	शासनादेश एवं सिंचाई मैनुअल में निहित आदेशों के अनुसार कृत्यों का निर्वहन किया जाता है।
5	अपने द्वारा या अपने नियन्त्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख	इस कार्यशाला में जो भी अधिकारी/कर्मचारी कार्य कर रहे है वे शासन द्वारा प्रदत्त शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार कृत्यों का निर्वहन करते है।

6	ऐसे दस्तावेजों के जो उसके द्वारा धारित या नियन्त्रणाधीन है प्रवर्गो का विवरण	इस खण्ड में दस्तावेजों को नियन्त्रणाधीन प्रवर्गों द्वारा सुरक्षित रखा जाता हैं जिसमें अधिष्ठान अनुभाग, लेखा अनुभाग एवं लागत अनुभाग सम्मलित है।
7	किसी व्यक्ति की विशिष्टियॉं, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कियान्वयन के सम्बन्ध जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विघमान है।	सिंचाई कार्यशाला उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का एक औघोगिक प्रतिष्ठान है। स्थानीय छोटी समस्यायों का निराकरण कार्य प्रबन्धक के माध्यम से किया जाता हैं। यदि किसी कार्य विशेष की समस्या उत्पन्न होती है, तो उसका समाधान उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों / निर्देशों के अनुसार किया जाता है।
8	ऐसे बोर्डो,परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के जिनमें दो या अधिक व्यक्ति है जिनका उनके भाग रूप में या इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैंठके जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी विवरण।	उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अर्न्तगत सिंचाई कार्यशाला एक औद्योगिक प्रतिष्ठान है, जिसके अर्न्तगत बॉधों के जल यॉत्रिक संयन्त्रों, एम0एस0 पाईप, बार्ज इत्यादि का निर्माण कार्य किया जाता है। यदि कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसका समाधान अभ्यावेदन के अनुसार किया जाता हैं।
9	अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिकाः–	सूचना संलग्न है। (संलग्नक–1)
10	अपने प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक परिश्रमिक जिसके अर्न्तगतप्रतिकर कर की प्रणाली भी है। जो उसके विनियमों में है यथा उपबन्धित हो।	कार्यशाला में प्रतिकर कर की प्रणाली प्रचलित नहीं है। शासकीय नियमानुसार विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रचलित नियमों के आलोक में मासिक वेतन देय है। कार्यशाला में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्राप्त मूल वेतन की सूची संलग्न है। (संलग्नक–2)

11	सभी योजनाओं में प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्ट की विशेषताएँ प्रदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजटः–	वित्तीय वर्ष 2107–18 हेतु वर्तमान में कार्य मद में कोई बजट आवंटित नहीं है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदा ग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।	इस खण्ड में किसी सहायिकी योजना/कार्यक्रम का प्राविधान नहीं है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं की विशिष्टियाँ	ऐसा कोई प्राविधान कार्यशाला में प्रचलित नहीं है।
14	किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों।	कम्प्यूटर (इलेक्ट्रोनिक)/पत्राचार के रूप में सूचनाऐं उपलब्ध है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सूचनाओं की विशिष्टियाँ जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो कार्य/करण घण्टे सम्मिलित हैः–	कार्यशाला में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।
16	लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और विशिष्टियाँः–	शिवकुमार शिवहरे, कार्य प्रबन्धक, सिंचाई कार्यशाला खण्ड झाँसी

कार्य प्रबन्धक
सिंचाई कार्यशाला खण्ड झाँसी